

राहत | गौतमबुद्ध नगर में तीन वर्षों में नई फर्मों का पंजीकरण 6.68 से बढ़कर 8.1 फीसदी पहुंचा, राजस्व और रोजगार के अवसर भी बढ़े

नई फर्मों से जिले की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता।

गौतमबुद्ध नगर प्रदेश में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व देने वाला जिला होने के साथ-साथ नई फर्मों के पंजीकरण में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य जीएसटी विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत नई फर्मों में जिले की हिस्सेदारी बढ़कर 8.1 फीसदी हो गई है, जो दो वर्ष पहले 6.68 फीसदी थी।

इससे जिले में तेजी से बढ़ती औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों का पता चलता है।

बड़ी कंपनियां दे रही सबसे

अधिक जीएसटी: विभाग के अनुसार जिले में ओप्पो, अल्ट्राटेक सोमेट, इंडियन ऑयल और लार्सन एंड टुब्रो जैसी प्रमुख कंपनियां जीएसटी में पंजीकृत हैं। ये कंपनियां प्रदेश के जीएसटी राजस्व में सबसे

प्रदेश के मुकाबले जिले में पंजीकृत फर्म

वित्तीय वर्ष	गौतमबुद्ध नगर	उत्तर प्रदेश
2023-24	20572	307945 (6.68%)
2024-25	22824	318082 (7.17%)
2025-26	33992	418100 (8.1%)

(आंकड़े राज्य जीएसटी विभाग गौतमबुद्ध नगर से प्राप्त हैं)



इन फर्मों का गौतमबुद्ध नगर में वर्चस्व

- सेवा प्रदाता, जिनमें आईटी, साफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स और अन्य व्यावसायिक।
- बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली इकाइयां।
- परिधान और कपड़ा निर्माण से जुड़े उद्योग।
- वाहन और उसके पुर्जे बनाने या बेचने वाली कंपनियां। भारी व हल्की मशीनरी से जुड़े कारोबार।

बड़ा योगदान दे रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नई फर्मों का पंजीकरण 6.68 फीसदी था, जो 2024-25 में बढ़कर 7.17 फीसदी और 2025-26 में 8.1 फीसदी तक पहुंच गया।

रोजगार के अवसर भी बढ़े:

अपर आयुक्त राज्यकर, गौतमबुद्ध नगर जोन, परीक्षित खटाना ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में गौतमबुद्ध नगर कंपनियों के पंजीकरण

के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नई कंपनियों के आने से राज्य के जीएसटी राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जिससे प्रदेश के विभिन्न शहरों के लोग यहां नौकरी के लिए आ रहे हैं और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। भारत में जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इससे पहले देश में अलग-अलग कई तरह

के अप्रत्यक्ष कर चलते थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। अधिकारियों के अनुसार जीएसटी मुख्य रूप से कर पर कर (टैक्स के ऊपर टैक्स) की समस्या को खत्म करने, अनेक अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक देश-एक कर व्यवस्था बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया था। एक राष्ट्र,

एक कर व्यवस्था, कर पर कर को समाप्त और व्यापार तथा लॉजिस्टिक्स में आसानी से व्यापार आसान व पारदर्शी हो गया है।

जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को सरकार 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ देती। पंजीकृत व्यापारी की मौत अथवा किसी हादसे में पूर्ण रूप से अपंगता पर योजना का लाभ मिलता है।